संख्या:-01/2026/20/43-1-2026

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रशासनिक सुधार निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक अनुदान का बजट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में अनुदान संख्या-46 लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें 091-संलग्न कार्यालय 04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय हेतु धनराशि रू0 46,95,000/- (रूपया छियालीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्ति की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

(4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05-01-2026 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-46 लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें 091-संलग्न कार्यालय 04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।